

संचालनालय, पेंशन छत्तीसगढ़  
इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/संकोले/ओपीएस/ 01/ 7207  
प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक 03/02/2023

समस्त वरिष्ठ कोषालय अधिकारी/कोषालय अधिकारी,  
जिला कोषालय -.....  
छत्तीसगढ़।


विषय -  
संदर्भ-

छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि (CGPF) क्रियान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देश बाबत ।  
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर का ज्ञाप क्रमांक 48/एफ  
2016-04-03289/वित्त/नियम/चार, दिनांक 25.01.2022 (वित्त निर्देश-03/2023)

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित निर्देशानुसार दिनांक 01.11.2004 अथवा उसके पश्चात नियुक्त शासकीय कर्मचारियों हेतु नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू होने के फलस्वरूप दिनांक 01.11.2004 से 31.03.2022 के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने अथवा एन.पी.एस. में यथावत् बने रहने के विकल्प का प्रावधान किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जिले के अंतर्गत समस्त आहरण एवं सवितरण अधिकारियों से दिनांक 24.02.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यालय में विकल्प जमा कराने हेतु अवगत कराना सुनिश्चित करें।


  
3/2/23  
संचालक

पेंशन, छत्तीसगढ़

नवा रायपुर, दिनांक 03/02/2023

प क्रमांक/संकोले/ओपीएस/ 01/ 7208  
प्रतिलिपि -

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (E-kosh Wing) राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केन्द्र (NIC), मंत्रालय, महानदी भवन,  
नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित ।

  
संचालक  
पेंशन, छत्तीसगढ़